



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड,
8-ए बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून।

ई-मेल- legalmetuk@gmail.com

दूरभाष नं०. 0135-2741926

पत्रांक 987/नि०वि०मा०वि०/ई०ओ०डी०बी०-ज्ञाप/2020-21

दिनांक 31 दिसम्बर 2020

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1296/XIX-1/20-19/2017, दिनांक 24.12.2020 के क्रम में District And State Level Business Reform Action Plan के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में से प्रथम चरण में केवल मैदानी जनपदों (हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर) तथा देहरादून, नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में पेट्रोल/डीजल/एलपीजी/सीएनजी डिस्पेंसर और धर्मकांटों का ऑनलाइन सत्यापन सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिनांक 01.01.2021 से आरम्भ किया जायेगा।

(प्रताप सिंह शाह)

नियंत्रक,

विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 987 /नि०वि०मा०वि०/ई०ओ०डी०बी०-ज्ञाप/2020-21/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्रांक संख्या 1296/XIX-1/20-19/2017, दिनांक 24.12.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव (सूचना) को इस अनुरोध के साथ कि समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से इस ज्ञाप का अधिकतम प्रचार-प्रसार करने की कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं सम्भाग, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त जनपदों में सत्यापन शुल्क जमा किये जाने हेतु साइबर ट्रेजरी के माध्यम से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य कोषाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
8. निदेशक, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून (नोडल विभाग ई०ओ०डी०बी०)।
9. संयुक्त/उप/सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, गढ़वाल/कुमायूं सम्भाग, उपसम्भाग ऊधमसिंहनगर/नैनीताल/हरिद्वार/देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड।
11. समस्त केन्द्र प्रभारी, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड।

(प्रताप सिंह शाह)

नियंत्रक,

विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।